SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898 In the court of कार्या की एम.एफ.सी गोहद मिण्ड
प्रकरण कमांक /2017 गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थानािजला
प्रशासन भिण्ड म०प्र०
name, parentage, caste and address of accused
क्षा राज्य स्था स्था स्था है। वर्ष
क दमहार है। हमसाराम हिन्द हो
कीड़ा अधिनियम के आंतर्गत रूपये किया जाता है।
The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक के प्रिंग को १३-३० बजे से १३-३० बजे के मध्य स्थान में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।
तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।
प्रिकार प्राप्त मिल्लिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
The plea of the accused and bis examination [if any] [Grand-How (म.प्र.)]
आरोपी का अभिवाक-
h. ms new
Wan 4012 रिका प्रमा
न्यायिक मिक्स्ट्रेट प्रथम श्रेण सोहद सिन्स शिएन (वस्र)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

8081 3000 SUGEOOS / / निर्णय / /

(आज दिनांक 25-3-17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्त गण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये के अंवरंड से दंडित किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 5-5 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

clause (q), of sub-section (1) of section

स्थान-भिण्ड 25.9-17

निर्णय आज दिनांकित एवं ..

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

चंकज शर्मा स्यायक मिल्टेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) पंकज शर्मा चंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला—भिण्ड (म.प्र.)